न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **2015/109** दायर दिनांक **07.07.2015**

वादी		प्रतिवादीगण
1. रामेश्वर पुत्र स्व0 आसुराम जाति मेघवाल निवासी लादडिया तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0	बनाम्	1. नन्दाराम पुत्र स्व0 आसुराम 2. हजारीराम पुत्र स्व0 आसुराम समस्त जाति मेघवाल निवासीगण लादडिया तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 3. तहसीलदार डीडवाना

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी व बन्टवारा,
अन्तर्गत धारा – 53, 88 R.T.Act.

उपस्थितः– पक्षकारान

–:: प्राथमिक निर्णय ::–

दिनांक **29.05.2017**

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी सं0 01 व 02 सगे भाई है तथा स्व0 आसुराम के वारिसान है। वादी व प्रतिवादीगण का संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा सं0 399 रकबा 17 बीघा 09 बिस्वा व खसरा सं0 671/218 रकबा 08 बिस्वा जो सरहद लादडिया में अवस्थित है। उक्त खेतों का मौखिक बंटवारा वादी व प्रतिवादीगण के पिता स्व0 आसुराम ने अपनी जीवनकाल में हि कर दिया था तथा उसी अनुसार मौके पर सीवें नीवें डाल कर कब्जा सौंप दिया।

खसरा सं0 399 रकबा 17 बीघा 09 बिस्वा में एक पुराना कुंआ है जो उक्त भूमि के सामलाती है। जिसमें से तीनों भाई अर्थात वादी व प्रतिवादी सं0 01 व 02 उक्त कुऐं के पानी से सिंचाई करते आ रहे है। खसरा सं0 399 रकबा 17 बीघा 09 बिस्वा में पश्चिमी हिस्सा रामेश्वर के बंट में आया हुआ है तथा प्रतिवादी सं0 01 नन्दाराम के हिस्से में पूर्वी पश्चिमी हिस्सा आया हुआ है तथा प्रतिवादी सं0 02 हजारीराम के हिस्से में उत्तरी पूर्वी हिस्सा बंट में आया हुआ है। इसी प्रकार खसरा सं0 671/218 रकबा 08 बिस्वा में प्रत्येक का 1/3 हिस्सा है तथा मौके पर बंट के अनुसार उत्तरी हिस्सा जो वादी रामेश्वर के हक में, मध्य हिस्सा प्रतिवादी सं0 02 हजारीराम के बंट में तथा दक्षिणी हिस्सा प्रतिवादी सं0 01 नन्दाराम के बंट में आया हुआ है। इसी अनुसार वादी एवं प्रतिवादी सं0 01 व 02 मौके पर काबिज है।

प्रार्थना वादी है कि वाके सरहद लादडिया के खसरा सं0 399 रकबा 17 बीघा 09 बिस्वा में वादी व प्रतिवादी सं0 01 व 02 का 1/3 हिस्सा है। वादी के हक

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या–2015/109
दायर दिनांक 07.07.2015 प्राथमिक निर्णय दिनांक 29.05.2017
रामेश्वर बनाम नन्दाराम, वगैरा।

में 1/3 हिस्सा पश्चिमी, प्रतिवादी सं0 01 नन्दाराम के 1/3 हिस्सा पूर्वी–दक्षिणी तथा प्रतिवादी सं0 02 हजारीराम के हिस्से में पूर्वी–उत्तरी 1/3 हिस्सा घोषित किया जावें तथा खसरा सं0 671/318 रकबा 08 बिस्वा में वादी रामेश्वर के 1/3 हिस्सा उत्तरी भाग, प्रतिवादी सं0 02 हजारीराम के मध्य हिस्सा तथा प्रतिवादी सं0 01 नन्दाराम के 1/3 हिस्सा दक्षिणी भाग बंट में आया हुआ है। इसी अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के मध्य बंटवारा किया जावें।

पत्रावली आज न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट लादडिया में पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित। पक्षकारान को सुना गया। मजमें आम में प्रकरण के संबंध में जानकारी ली गई। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं साक्ष्य के अनुसार सरहद लादडिया के विवादग्रस्त भूमि के वादी व प्रतिवादीगण सहखातेदार हैं तथा विधिवत् बन्टवारा करवाने की इस्तदुआ कर रहे हैं। पक्षकारान् सहखातेदार होने के कारण बन्टवारा करवाने के कानूनन् हकदार है। अतः वादीगण का दावा प्राथमिक डिक्री सादिर किया जाता है।

–:: आदेश ::–

हस्व दावा प्राथमिक डिक्री सादिर कर सरहद लादडिया के खेत खसरा सं0 399 रकबा 17 बीघा 09 बिस्वा व खसरा सं0 671/218 रकबा 08 बिस्वा कुल रकबा 17 बीघा 17 बिस्वा आराजी उपर्युक्त का वादी व प्रतिवादीगण सं0 01 व 02 के मध्य बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा कर विभाजन प्रस्तावित करने बाबत भूमिधारी (तहसीलदार) डीडवाना को आदेशित किया जाता है।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर,
डीडवाना
सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

प्राथमिक निर्णय आज दिनांक **29.05.2017** को न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट लादडिया में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर,
डीडवाना
सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 109/2015 दायर दिनाँक 07.07.2015

वादी		प्रतिवादीगण
1. रामेश्वर पुत्र स्वर्गीय आसुराम, जाति—मेघवाल, निवासी—लादड़िया, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. नन्दाराम पुत्र स्वर्गीय आसुराम, 2. हजारीराम पुत्र स्वर्गीय आसुराम, समस्त,जाति—मेघवाल, निवासी—लादड़िया, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 3. तहसीलदार डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा— 88, 188, R.T.Act.

उपस्थितः—

1. पक्षकारान्।

—:: निर्णय ::—

दिनाँक 28.05.2018

शरहद मौजा लाडड़िया तहसील डीडवाना के आराजी खसरा संख्या 399 रकबा 17.09 बीघा भूमि व खसरा नम्बर 671/218 रकबा 0.08 बीघा, के घोषणा खातेदारी व बन्टवारा बाबत् वादी का वाद दिनाँक 29.05.2017 को प्राथमिक डिक्री सादिर कर विभाजन प्रस्तावित करने का निर्देश तहसीलदार डीडवाना को दिया गया।

न्याय आपके द्वार, 2018 : राजस्ट कोर्ट कैम्प—लादड़िया में पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार डीडवाना ने कोर्ट कैम्प में पत्रांकः 10 दिनाँक 28.05.2018 को विभाजन प्रस्तावित किया। बंटवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार डीडवाना सक्षम प्राधिकारी है। अतः तहसीलदार डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 109/2015
दायर दिनाँक 07.07.2015, निर्णय दिनाँक 28.05.2018
रामेश्वर बनाम् नन्दाराम, वगैरा।

के द्वारा प्रस्तावित विभाजन दिनाँक 28.05.2018 को स्वीकार कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

दावा डिक्री सादिर कर शरहद मौजा लादड़िया तहसील डीडवाना के आराजी खसरा संख्या 399 रकबा 17.09 बीघा व खसरा संख्या 671/218 रकबा 0.08 बीघा भूमि, का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस से बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव क्रमांक 10 दिनाँक 28.05.2018 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनाँक 28.05.2018, निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–लादड़िया

निर्णय आज दिनाँक **28.05.2018** को सरे कोर्ट कैम्प में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–लादड़िया

Scanned by CamScanner

डिक्री वमुकद्दमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालतः— सहायक कलक्टर, डीडवाना

न्याय आपके द्वार,2018 : राजस्व कोर्ट कैम्प

बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **109/2015** दायर दिनाँक **07.07.2015**

वादी		प्रतिवादीगण
1. रामेश्वर पुत्र स्वर्गीय आसुराम, जाति—मेघवाल, निवासी—लादड़िया, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	**बनाम्**	1. नन्दाराम पुत्र स्वर्गीय आसुराम, 2. हजारीराम पुत्र स्वर्गीय आसुराम, समस्त,जाति—मेघवाल, निवासी—लादड़िया, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 3. तहसीलदार डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्

घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा,

अन्तर्गत धारा— 88, 188, R.T.Act.

दिनाँक **28.05.2018**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई **उपस्थित पक्षकारान्** ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि,

दावा डिक्री सादिर कर शरहद मौजा लादड़िया तहसील डीडवाना के आराजी खसरा संख्या 399 रकबा 17.09 बीघा व खसरा संख्या 671/218 रकबा 0.08 बीघा भूमि, का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस से बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव क्रमांक 10 दिनाँक 28.05.2018 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनाँक 28.05.2018, निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो।

नीज..........—.......... मुबलिंग............—............... बाबत.......... ....—....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........—......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **28.05.2018** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर

डीडवाना

सहायक कलक्टर

डीडवाना

कोर्ट कैम्प—लादड़िया

Scanned by CamScanner

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प		
स्टाम्प			वकालतनामा		
वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह	–		महनताना वकील		
सबूत	–		खर्चा गवाहान		
महनताना			फिस कमिश्नर		
वकील			बाबत इजराय		
खर्चा गवाहान			हुक्मनामा		
फिस कमिश्नर			मुतफर्रिक		
बाबत इजराय					
हुक्मनामा					
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
डीडवाना
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–लादड़िया

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

क्रमांकः—109—2015/रीडर/2018/ दिनाँक

प्रेषितिः—

तहसीलदार
डीडवाना।

विषयः —निर्णय की पालना करने बाबत्।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा— 88, 188, R.T.Act.

वादी		प्रतिवादीगण
1. रामेश्वर पुत्र स्वर्गीय आसुराम, जाति—मेघवाल, निवासी—लादड़िया, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. नन्दाराम पुत्र स्वर्गीय आसुराम, 2. हजारीराम पुत्र स्वर्गीय आसुराम, समस्त,जाति—मेघवाल, निवासी—लादड़िया, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 3. तहसीलदार डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर पालना रिर्पोट भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।

सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
डीडवाना
डीडवाना
कोर्ट कैम्प—लादड़िया

Scanned by CamScanner